

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज्

3

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम राखरी जमाबंदी सं 2613-16 के खाला सं 5 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/त्रुटीपूर्ण त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में गिनानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खालानी खाला सं	भू प्रबंध खालानी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाला सं	वर्तमान इन्द्राज / त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध त्रुटीपूर्ण)
1	2	3	4	5
5	1. अमरलाल पुत्र लाला जाति-पमाट रि-1/4 2. देवीलाल पुत्र लाला जाति-पमाट रि-1/4 3. देवलाल पुत्र लाला जाति-पमाट रि-1/4 4. कुंजलाल पुत्र लाला जाति-पमाट रि-1/4	5	1. अमरलाल पुत्र लाला जाति-पमाट रि-1/4 2. देवीलाल पुत्र लाला जाति-पमाट रि-1/4 3. देवलाल पुत्र लाला जाति-पमाट रि-1/4 4. कुंजलाल पुत्र लाला जाति-पमाट रि-1/4	1. अमरलाल पुत्र लाला जाति-मैपबाल 2. देवीलाल पुत्र लाला जाति-मैपबाल 3. देवलाल पुत्र लाला जाति-मैपबाल 4. कुंजलाल पुत्र लाला जाति-मैपबाल

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. अमरलाल पुत्र लाला जाति-मालवी
2. दिपक नीना पुत्र लाला जाति-मालवी
3. मोहन पुत्र लाला जाति-मालवी
4. _____

हस्ताक्षर

दिपक नीना
अमरलाल

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम राखरी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

जा
14/12/25

हस्ताक्षर पटवारी
रामो.राखरी

रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।



भूअभिलेख निरीक्षक
रामो.राखरी



रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व / 2025 / 1179

दिनांक : 21/07/2025

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम खाली के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार
राजस्व
सायपुर

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय / 2025 / 243

दिनांक : 08/8/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम खाली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सायपुर की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सायपुर को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0